उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज
संख्या– 332/1/ई–1/2020–21
प्रयागराजः दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

शुद्धि–पत्र

आयोग द्वारा आगामी आयोजित की जाने वाली ऐसी समस्त परीक्षाओं (पी०सी०एस०(जे०) को छोड़कर) में प्रारम्भिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या का 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने तथा साक्षात्कार के लिए रिक्तियों की संख्या के 03 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त व्यवस्था आगामी आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा–2021 एवं सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी (प्रा०) परीक्षा–2021, जो दिनांक– 24.10.2021 को आयोजित की जा रही है, से सम्बन्धित प्रकाशित विज्ञापन सं० ए–1/ई–1/2021 दिनांक– 05.02.2021 में अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश के बिन्दु–14(14) में अभ्यर्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराये जाने की वर्तमान लागू व्यवस्था के स्थान पर आयोग द्वारा लिये गये उक्त निर्णय से सम्बन्धित व्यवस्था लागू होगी तथा इसके बाद आयोजित होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं में भी लागू रहेगी।

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021 एवं सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा–2021 से सम्बन्धित प्रकाशित विज्ञापन सं० ए–1/ई–1/2021 दिनांक– 05.02.2021 में अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश के बिन्दु–14(15) के क्रम में याचिका सं०(सी)165/2005 संजय सिंह बनाम उ०प्र० लोक सेवा आयोग व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा माडरेशन/स्केलिंग के संदर्भ में दिये गये निर्णय/आदेश का अनुपालन किया जायेगा।

तद्नुसार सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021 एवं सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा–2021 से सम्बन्धित प्रकाशित विज्ञापन सं० ए–1/ई–1/2021 दिनांक– 05.02.2021 में अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश के बिन्दु–14(14) एवं आगामी आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं में भी उक्त से सम्बन्धित बिन्दु उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

(जगदीश)
सचिव